INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 : नेतृत्व, नीति–निर्माण तथा राष्ट्रीय मुल्यों का समावेश

डॉ0 देव कृष्ण थपलियाल
(DR. DEV KRISHNA)
राजनीति विज्ञान विभाग
राठ महाविद्यालय पैठाणीं,
पो0–पैंठाणी, वाया–चिपलद्याट
जिला–पौडी गढवाल 246123
(संबद्वता –हे0नं0ब0केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल)
Email –devkthapliyal@gmail.com

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वागींण विकास है, वह शारीरिक, मानसिक बौद्विक और आध्यात्मिक क्षमता से परिपूर्णता के साथ, उसके भीतर मानवीय मूल्यों प्रेम, सहाननुभूति, सम्मान, ईमानदारी, और जिम्मेदारी तथा उचित–अनुचित का बोध कराना है। अच्छी शिक्षा अपनीं संस्कृति का संरक्षण, तथा उसे अगली पीढी तक ले जानें की क्षमता का विकास कर अपनी स्वयं और समाज व राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना सिखाती है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मिक आनंद के साथ–साथ जनकल्याण की भावना का विकास भी करती है। इसके लिए आमतौर पर कुछ गतिविधियॉ होंतीं हैं, जिन्हें संपन्न करने के लिए शिक्षा जैसे संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। वैदिक काल से ही शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करनें का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था। वैदिक काल में जीवन को सन्तुलित ढंग से चलानें के लिए दो प्रकार से ज्ञानार्जन की विधि प्रचलित थीं, जिसे 'परा' व 'अपरा' कहा जाता है, 'परा' का अर्थ है, ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा 'ब्रह्म' अर्थात 'मोक्ष' को प्राप्त करना । जबकि 'अपरा' का अर्थ था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से माना जाता है, जो लिपिबद्व रूप में उपलब्ध नहीं थे। जिन्हें बाद में ऋषियों द्वारा लिपिबद्व किया । 'वेद' शब्द की उत्पत्ति 'विद्' धातु से हुई है। अतः वेद शब्द का शाब्दिक का शाब्दिक अभिप्राय है– ज्ञान प्राप्त करना । वेद शब्द का व्युत्पत्यात्मक अर्थ है ''जो दर्शाता है कि वेदों में सांसारिक, व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में मानव के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान संग्रहीत है। (1) सम्मानजनक विधि–विधान से व्यावसायिक और व्यावहारिकता के साथ ज्ञान और कौशल को आगे बढानें की सोच के अतिरिक्त आत्म विश्वास व और व्यक्तित्व निर्माण के बाद राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र मूल्यों के प्रति सम्मान देंनें का कार्य एक शिक्षित नागरिक के द्वारा ही संभव है। 1964–66 के दौंरान कोठारी आयोग नें भी राष्ट्र की उन्नति के आर्थिक उत्पादन में वृद्वि, देश के आधुनिकीकरण में योगदान प्रस्तुत करनें को शिक्षा का मूल उद्देश्य कहा है। नई शिक्षा नीति–2020 में भी व्यक्ति को अधिकाधिक देश–प्रेम, नेतृत्व व नीति निर्माण में सहयोगी की भूमिका बनानें के सभी प्रयत्न किए गए हैं।

शिक्षा की महत्ता को देखते हुए भारतीय संविधान के खण्ड तीन व चार में शिक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। प्रारम्भिक शिक्षा का मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा के माध्यम से हिन्दी भाषा का विकास आदि के संबंध में संविधान में विशेष प्रावधान किये गये हैं। अनुच्छेद–21 के अधीन शिक्षा का अधिकार एक विकसित अधिकार माना जाता है। वर्ष 2002 में 46 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद–21 'क' जोडकर प्राराम्भिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया है । अनुच्छेद–21 क में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उस प्रकार की रीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद–30 (1 एवं

2) के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनीं पसंद की शिक्षा संस्थाऐं स्थापित कर सकते हैं, तथा प्रशासित कर सकते हैं । राज्य सरकारें अनुदान देते समय इन संस्थाओं में केवल इसलिए भेदभाव नहीं करेगी कि ये संस्थाऐं अल्पसंख्यकों के द्वारा विशेष नियमों के अर्न्तगत चलाई जा रही है। इस प्रकार से संविधान में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद–46 के अर्न्तगत कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति की शैक्षिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा तथा उनको सामाजिक अन्याय व धोखे से बचायेगा । इस प्रकार से संविधान में समाज के सभी वर्गों की शिक्षा व उन्नति के अवसर समान रूप से सुनिश्चित है। (2)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में जिन मुल्यों और सिदान्तों का समावेश किया गया है, लोकतांत्रिक व राष्ट्रीय मूल्यो के प्रति समर्पित है, जिसमें बाल्यकाल से ही बच्चे में अपनी संस्कृति, विरासत, भाषा और परम्परा के प्रति गहरा विश्वास जगेगा, वह अपनें समाज और राष्ट्र के प्रति और अधिक संवेदनशील बनेगा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 यह भी तय करती है, कि नागरिक अपनें समाज, संस्कृति के साथ–साथ राज्य, राष्ट्र व लोकतांत्रिक मुल्यों परम्पराओं और सिदान्तों के प्रति अधिक सजग व गंभीर बनेगा। उसमें देश प्रेम अपनत्व और एकता की भावना को विकसित कर राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करेगा ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में कहा गया है स्कूलों में वैकल्पित रूपों को अपनीं परम्पराओं और वैकल्पित शिक्षण–शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करनें प्रोत्साहित किया जाएगा । इसके साथ–साथ उन्हें अपनें विषयों, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप एकीकृत करनें में सहायता प्रदान की जायेगी ताकि उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे–धीरे बढाया जा सके । ऐसे विद्यालयों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं अथवा प्रासांगिक विषयों को अपनें पाठ्यक्रम में शामिल करनें के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। (3) सामाजिक रूप से कमजोर व उपेक्षित वर्गों के लिए सभी नीतिगत बिन्दुओं के संन्दर्भ में अनूसूचित जाति और जन जातियों के शैक्षिणिक विकास में असमानताओं को दूर करनें पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढानें के प्रयासों के तहत, सभी एसईडीजी से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बडे पैंमानें पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ करनें तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तिय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके। छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों (जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता) इत्यादी द्वारा लायीं गईं, इसी नईं स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आए परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा । स्कूली पाठ्यक्रम में प्रराम्भिक शिक्षा मानवीय मूल्यों पर सामाग्री जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता मानव अधिकार , लैंगिक समानता, अहिंसा वैश्विक नागरिकता, समावेशन, और समता शमिल होंगें। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं लिंग आधारित पहचान इत्यादी के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करेगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढिवादिता को हटा दिया जाएगा, और ऐसी सामाग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासांगिक ओर संबंधित है। (4) डीएसई द्वारा स्कूल, काम्पलैक्स/कलस्टर को काफी स्वायत्त्ता प्रदान की जाएगी । जिसके बल वे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ) और स्टेट पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एससीएफ) का अनुपालन करते हुए समन्वित शिक्षा प्रदान करनें की दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठा सके और पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्र के स्तर पर प्रयोगधर्मी हो पायें। इस संगठन के तहत स्कूल मजबूत होंगें, ज्यादा स्वतंत्रतापूर्वक काम कर पायेंगें, और इससे काम्प्लेक्स अधिक नवाचारी और जिम्मेदार बनेंगें। इस दौरान, डीएसई बडे स्तर के लक्ष्यों पर ध्यान दें पायेगा जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था की प्रभाविता में सुधार हो। (5) इन कॉम्प्लेक्स/कलस्टर द्वारा दोंनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक

संदर्भों में एक योजनबद्व तरीके से काम करनें की संस्कृति का विकास होगा। **(6)** निजी सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढानें के लिए देश भर में एक निजी और सार्वजनिक विद्यालय को परस्पर सम्बद्व किया जाएगा। जिससे ऐसे सम्बद्व स्कूल एक दूसरे से मिल/सीख सके, और संभव हो तो एक–दूसरे के संसाधनों से भी लाभान्वित हो सकें । जहॉ संभव हो इन दोंनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजीकरण किया जायेगा, वितरण किया जायेगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जायेगा। हर राज्य जिले को प्रोत्साहित किया जायेगा की वह 'बाल भवन' स्थापित करे जहॉ हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार (उदाहरण के लिए सप्ताहांत में) जा सके और कला, खेल, और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदार कर सके। ऐसी बाल भवन जहॉ संभव हो स्कूल, कॉम्प्लैक्स/कलस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं। **(7)** एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहिए और स्कूल 'स्थापना दिवस' जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मानाये जानें चाहिए । इस दिन स्कूल के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूचीं प्रदर्शित की जानीं चाहिए और उनका सम्मान होंना चाहिए । इस्तेमाल में न आनें वाले समय अथवा दिनों स्कूल की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लिए बौद्विक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाना चाहिए , जिससे स्कूल एक 'सामाजिक चेतना केंद्र' के रूप में भी भूमिका निभाये। **(8)** उत्कृष्ट कार्यो को उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नति, कार्यों की सराहना के साथ ही साथ ही साथ संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढावा दिया जायेगा । इसी के साथ ही उन संकाय सदस्यों की जबाव देही भी तय की जायेगी जो कि निर्धारित बुनियादी मानदण्डों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। **(9)**

उत्कृष्टता और नवाचारों को बढावा देंनें वाले उत्कृष्ट व उत्साही संस्थागत नेतृत्व कर्ताओं की जरूरत आज के समय की मांग है। एक संस्था और उसके संकाय सदस्यों की सफलता के लिए उच्चत्तर गुणवत्तायुक्त संस्थानिक नेतृत्व का होंना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उच्चत्तर आकादमिक और सेवा क्रेंडेशियल्स के साथ ही नेतृत्व व प्रबंध कौशल को प्रदर्शित करनें वाले विभिन्न संकाय सदस्यों की समय रहते ही पहचान की जाएगी, और फिर उन्हें नेतृत्व और फिर उन्हें नेतृत्व से जुडे विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। **(10)** उच्चत्तर शिक्षा के अनुभव जन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता है। इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होंना चाहिए । यह नीति एसईडीजी पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुॅच सुनिश्चित करती है। **(11)** डायनेमिक्स और शिक्षा प्रणाली से एसईडीजी के बाहर हो जानें से जुडे बहुत सारे कारण भी विद्यालय शिक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समान हैं। इसलिए विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुडा दृष्टिकोंण एक समान होंना चाहिए और इसके साथ ही साथ स्थायी सुधार सुनिश्चित करनें के लिए इससे जुडे सभी चरणों में निरंतरता होंनी चाहिए अतः उच्चतर शिक्षा में समता, समानता और समावेशन के लक्ष्यों को पूरा करनें के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए। **(12)** इन समूहों के बाहर हो जानें से जुडे कई पहलू हैं जो स्वयं में कारण और प्रभाव दोंनों हैं और उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से जुडे हुए हैं या फिर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जडें बहुत गहरी हैं। इन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से दूर किया जाना चाहिए, और इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, उच्चतर शिक्षा ग्रहण करनें के दौंरान के समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानि, आर्थिक बाधाऍं, प्रवेश प्रक्रियाऍं, भौगोलिक बाधाऍं,

भाषाएँ, भाषायी अवरोध, बहुत अधिक उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों की सीमित रोजगार क्षमता और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमीं से जुडी चुनौतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

सभी उच्च्तर शिक्षण संस्थानों द्वारा उठाए जानें वाले कदम :

- उच्चतर शिक्षा प्राप्त करनें से जुडी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि कम करना
- सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना
- उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुडी जागरूकता के लिए प्रचार–प्रसार करना
- प्रवेश प्रक्रियाओं को समावेशी बनाना
- उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगारपरक बनाना
- भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढाए जानें वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना
- यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल हों
- वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आनें वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज–कोर्स निर्मित करना
- ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक, भावनात्मक और अकादमिक सहायता, सलाह प्रदान करना
- भेदभाव और उत्पीडन के विरूद्व बनें सभी नियमों को सख्ती से लागू करना
- पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर–पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना, **(13)**

शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करनें के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करनें और फिर इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करनें के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिए जानें के पश्चात कठोर कार्यवाही करनें का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदण्डों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ, बहु–विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगें। **(14)**

कालेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवारत सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा, हालॉकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लिए आवश्यक समृद्व शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूर करनें के लिए इनका सुदृढीकरण और विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयम/दीक्षा जैसे प्रौद्यौगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहैया कराया जा सके । **(15)** सलाह (मेटरिंग) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बडी संख्या में वरिष्ठ/सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों को जोडा जाएगा, इनमें वे संकाय सदस्य भी शामिल होंगें जिनमें भारतीय भाषाओं में पढानें की क्षमता है और जो विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों को लघु और दीर्घालिक परामर्श /व्यावसायिक सहायता प्रदान करनें के लिए तैयार होंगें। **(16)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुडी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति को दूर करना है, और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान, जैसे–स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्व तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधरा की शिक्षा में एकीकृत करें, और इसकी शुरूवात आरंम्भिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करनें से जो फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक,

कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुडे कोशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हों। ऐसा करनें के परिणामस्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा । (17) अनुसंधान का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र आज दुनियां में तेजी से होंनें वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकी गतिशीलता और प्रबन्ध, जैव विविधता, एक डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्विमता आदि इस तरह के परिवर्तन हैं। यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक नेतृत्वकर्ता बनना है और वास्तव में अपनें विशाल प्रतिभा पूल को फिर से एक प्रमुख ज्ञान समाज बनानें की क्षमता प्राप्त करना है तो आनें वाले वर्षो और दशकों में, राष्ट्र को अपनीं अनुसंधान क्षमताओं–संभावनाओं को सभी विषयों (डिसिप्लेन्स) में उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता होगी । आज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्विक, सामाजिक पर्यावरणीय और प्रौद्यौगिकीय विकास के लिए शोध का महत्व पहले कई अधिक है। (18) इस पक्ष के इतना महत्वपूर्ण होंने के बावजूद, भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश सयुंक्त राज्य अमेरिका में 2.8% इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया मे 4.2% की तुलना में जीडीपी का लेवल 0.69% है । आज भारत को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करनें की आवश्यकता जैसे कि अपनें सभी नागरिकों के लिए पीनें के पानीं की स्वच्छता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ सेवा, बेहतर परिवहन–गुणवत्ता वायु , बीजली और बुनियादी चीजों की पहुॅच आदि । इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोंण और समाधानात्मक रवैया और क्रियान्वयन की जरूरत होगी जो न केवल शीर्ष–विज्ञान और प्रौद्यौगिकी पर आधारित हों बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों की गहरी समझ पर भी आधारित हो। इन चुनौतियों का सामना करनें और इनके समाधान खोजनें के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर स्तरीय अंतर–विषयक अनुसंधान करनें की स्वयं की क्षमता का होंना महत्वपूर्ण होगा। स्वयं के शोध करनें की क्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानीं से अन्य देशों से अनुसंधानों को आयात करनें और उनमें से अनुकूल शोध को अपनानें योग्य बनाता है। (19) इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के हित निकालनें के लिहाज से मूल्यवान होंनें के साथ–साथ किसी देश की पहचान, उसकी प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्विक संतुष्टि और रचनात्मकता को भी उसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारों के साथ–साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और प्रबुद्वता हेतु अति महत्वपूर्ण है। (20) भारत में विज्ञान गणित से लेकर कला, साहित्य, स्वर विज्ञान और भाषा से लेकर चिकित्सा और कृषि तक के विषयों में अनुसंधान और ज्ञान–सृजन की एक लंबी परंपरा रही है। अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्व ज्ञान–समाज के रूप में अपनीं खोयी हुई स्थिति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करें और मजबूत और प्रबुद्व ज्ञान समाज तथा दुनिया की तीन सबसे बडी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रूप में 21 वीं सदी में अनुसंधान और नवाचार का नेतृत्व करनें के लिए तैयार रहे । (21)

17.8 74 अतः यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को बदलनें के लिए एक व्यापक दृष्टिकोंण को लागू करती है। । नीति में स्कूली शिक्षा में निश्चित बदलाव शमिल है। छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान करनें के लिए लिए स्कूलों में करियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढावा दें सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में बहु–विषयी और समग्र शिक्षा पर बल, स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश, संकाय कॅरियर का समावेश संकाय कॅरियर प्रबंधन प्रणाली जो अनुसंधान पर समुचित बल दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन

जो शिक्षकों की ओंर संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करनें वाले हों। ये सभी तथ्य देश में एक शोध मानसिकता को मजबूत करनें के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व ही है जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति के निर्माण बनाता है। भारत सहित दुनियाभर में सभी विश्वस्तरीय संस्थानों की सामान्य विशेषता वास्तव में मजबूत स्वशासन और संस्थागत लीडरों की उत्कृष्ट योग्यता आधारित नियुक्ति रही है, जिन्होंनें ऐसी संस्कृति के निर्माण और पोषण को संभव बनाया । **(22)**

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, एस0बी0, गुप्ता अलका ''भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याऐं'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2013 पे0—5—6.
2. गुप्ता, एस0बी0, गुप्ता अलका ''भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याऐं'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2013 पे0—7.
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —6 पैरा—15
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —6 पैरा—20
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —7 पैरा—8
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —7 पैरा—9
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —7 पैरा—11
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —7 पैरा—12
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —13 पैरा—5
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —13 पैरा—7
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —10 पैरा—1
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —14 पैरा—2
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —14 पैरा—4.2
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —15 पैरा—10
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —15 पैरा—11
16. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —15 पैरा—11
17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —17 पैरा—4
18. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —17 पैरा—3
19. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —17 पैरा—4
20. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —17 पैरा—5
21. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —17 पैरा—7
22. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट अध्याय —17 पैरा—8

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM